इस प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया यह होगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में एक विशेष रजिस्टर में मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, मृत्यु का दिनांक, आश्रित की शैक्षिक अर्हताऐं, आयु आदि का विवरण दर्ज रहेगा। मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का आश्रित सदस्य अपना आवेदन–पत्र सम्बन्धित अधिकारी को सम्बोधित करेगा। उस आवेदन पत्र पर एक समिति विचार करेगी जिसके पाँच सदस्य होंगे।

नियम 106 में यह कहा गया है कि मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथा सम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहाँ मृत कर्मचारी सेवारत था। किन्तु ऐसी रिक्ति उपलब्ध न होने पर दूसरी किसी संस्था में की जायेगी। इसी नियम में यह स्पष्ट कर दिया है कि मृत्यु कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति हेतु यदि पद रिक्त न हो तो किसी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति तुरन्त की जायेगी और उसे अधिसंख्य पद पर तब तक रखा जायेगा जब तक कोई रिक्त पद उस संस्था में न हो जाये। इस अधिसंख्य पद पर कार्य करने की तिथि से ही वेतन निर्धारण और सेवा निवृत्ति हेतु सेवाकाल आगणित किया जायेगा।

अधिकारी द्वारा चयन किये जाने पर संस्था का नियुक्ति प्राधिकारी एक मास के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा।

3. मृतक आश्रितों को अनुमन्य विभिन्न लाभ–सेवाकाल में जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उस समय उसके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उनमें तीन प्रकार की सुविधाएं प्रमुख हैं:–(1) पारिवारिक पेन्शन; (2) मृत्यु आनुतोषिक और (3) मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लिया जाना, इस सन्दर्भ में कर्मचारी को अपने सेवाकाल में सतर्क रहना चाहिए। वह वांछित प्रपत्र कार्यालय में उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि यदि उसकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई तो उसके आश्रितों को बहुत अधिक दौड़–धूप न करना पड़े। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित नियमों की जानकारी होना उसके लिऐ तथा उसके आश्रितों के लिए आवश्यक है :–

(1) यदि कर्मचारी लाभत्रयी योजना से शासित रहा है और उसकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाती है तो उसके आश्रित को कर्मचारी द्वारा लिये गये पिछले वेतन के छः गुने के बराबर आनुतोषिक दी जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसने मृत्यु के पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक लगातार सेवा की हो। निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाये। डिग्री कालेज के अध्यापकों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक तथा जू0 हा0 स्कूल एवं प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक आनुतोषिक स्वीकृति करने के लिए अधिकृत है। इसके लिए "अध्यापक आनुतोषिक निधि" की अलग से स्थापना की गई है और उसी से यह धनराशि दी जाएगी।

(2) पारिवारिक पेंशन पाने के लिए नामांकन पत्र बहुत जरूरी है। कर्मचारी अपनी सेवाकाल में नामांकन अवश्य भर दें। नामांकन पत्र के अभाव में 5000 रूप से कम धनराशि के दावे के लिए माल विभाग के सक्षम अधिकारी का तथा इससे अधिक धनराशि के लिए जिला सिविल जज का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वांछित है।

(3) उत्तराधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा कि वह किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है।

(4) मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवा में लिए जाने के लिए दिनांक 23.9.1981 को राजाज्ञा संख्या मा/6646–15–7–V(76)/1981 प्रसारित की गई है। यह दिनांक 1.1.1981 से

प्रभावी मानी गई है अर्थात् ऐसे कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवाकाल में 1.1.198 उपरान्त हुई हो, के आश्रित को सेवा में लिया जायगा।

(5) मृतक के आश्रित को विद्यालय के शिक्षेणत्तर/शिक्षक पद पर ही सेवा दि जाएगा।

(6) आश्रित की आयु 18 वर्ष से कम की न होनी चाहिए।

(7) सेवा में नियोजित किए जाने वाला आश्रित मृत कर्मचारी की पत्नी या उसक पुत्र (दत्तक पुत्र, जो उसके सेवाकाल में रहते हुए समस्त कानूनी कार्यवाही हो) या उसकी अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री के अतिरिक्त अन्य कोई अ

(8) शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी के आश्रित को सेवा नियोजित करना नियमानुष कर्मचारी की सेवायें स्थायी तथा नियमित हों और उसकी मृत्यु सेवाकाल

(9) यथा सम्भव आश्रित की नियुक्ति उसी विभाग/विद्यालय में शिक्षक/शिक्षणेत्तर नियुक्ति हेतु विहित अर्हता रखने वाला व्यक्ति ही नियुक्त किया जायगा अ लिपिक पद के लिए अर्ह है तो लिपिक पद पर और यदि वह केवल चतुर्थ श्र पद के लिए ही अर्ह है तो चतुर्थ श्रेणी में उसकी नियुक्ति होगी। और यदि प्रि श्रेणी हेतु अर्ह है तो उस पर नियुक्ति होगी।

(10) परिवार–पेन्शन तथा मृतक के आश्रित के रूप में सेवा नियोजन होना–दोनों ह को मिल सकते हैं। किन्तु दोनों के लिए अनुमन्य मंहगाई भत्ता एक ही प्रकरण

(11) कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है